



वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक— 781 / परीक्षा./2019

दिनांक— 20/02/2019

परीक्षा संचालन सम्बन्धी व्यवस्था हेतु केन्द्राध्यक्षों को निर्देश

1. विश्वविद्यालय परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधन का प्रयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमावली अध्यादेश एवं निर्णयों के तहत अनुचित साधन की कार्यवाही की जाय। यदि कोई परीक्षार्थी, ड्यूटी कर रहे किसी कक्ष निरीक्षक/उड़ाकादल/केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षक को डराने, धमकाने का कृत्य करता है तो, ऐसे परीक्षार्थियों के खिलाफ अनुचित साधन की कार्यवाही के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही की जाय।
2. परीक्षा प्रश्नपत्र सी०सी०टी०वी० कैमरा की निगरानी में केन्द्राध्यक्ष व दो कक्ष निरीक्षकों के हस्ताक्षर के उपरान्त ही खोला जाय।
3. परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल की पुष्टि होने पर सम्बन्धित महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से वंचित कर दिया जायेगा, तथा सम्बन्धित विषय की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ उक्त महाविद्यालय के केन्द्राध्यक्ष के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।
4. परीक्षा कक्ष के आकार को दृष्टिगत रखते हुए कैमरों की संख्या एक कक्ष में न्यूनतम् दो व जहाँ कक्ष/हाल का आकार सामान्य से बड़ा है तो इससे अधिक कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायें कि सम्पूर्ण परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से कैमरों की कवरेज में आ जाय। प्रत्येक सी०सी०टी०वी० कैमरे में वायस रिकार्डर लगा होना अनिवार्य है।
5. परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु आपके जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा बल हेतु निवेदन किया जा चुका है। आप अपने स्तर से भी जिला अधिकारी/पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर सुरक्षा बल प्राप्त कर सकते हैं।
6. परीक्षा अवधि की सी०सी०टी०वी० रिकार्डिंग संरक्षित रखी जाय, आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी तिथि की एवं किसी भी पाली की सी०सी०टी०वी० रिकार्डिंग माँगी जा सकती है, और महाविद्यालय को उक्त रिकार्डिंग उपलब्ध कराना आवश्यक होगा, तथा सी०सी०टी०वी० कैमरे के सामने ही छात्र/छात्राओं की परीक्षा कराया जाय, छात्र/छात्राएं परीक्षा के दौरान ऐसे बैठाये जायं जिससे उनका चेहरा स्पष्ट दिखे।
7. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने से आधे घण्टे पूर्व गेट खोला जाय ताकि गेट पर ही परीक्षार्थियों की तलाशी करा ली जाय कि कहीं उनके पास कोई अवैध सामग्री तो नहीं है। परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में समिलित न कराया जाय, तथा किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल, लैपटाप आदि को लेकर प्रवेश वर्जित है।
8. परीक्षा कक्ष के द्वार पर ए-4 साईज के पेपर पर परीक्षा कक्ष में तैनात कक्ष निरीक्षकों के फोटोयुक्त विवरण यथा—नाम, पदनाम, अध्यापन का विषय आदि का विवरण प्रत्येक पाली में चस्पा किया जाय।
9. विश्वविद्यालय द्वारा गठित उड़ाका दल के संयोजक/सदस्यों एवं पर्यवेक्षक के परीक्षा केन्द्र निरीक्षण में सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करने की जिमेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।
10. पी-07 पर उत्तर पुस्तिका क्रमांक अवश्य अंकित किया जाय।
11. जिन उत्तरपुस्तिकाओं के क्रमांक अपठनीय हों ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं को केन्द्राध्यक्ष/कक्ष परिप्रेक्षक परीक्षार्थियों को वितरित करने से पूर्व अलग रख दें, उन्हें परीक्षार्थियों को वितरित न करें। परीक्षार्थी भी ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं को प्रयोग करने के पूर्व ही कक्ष परिप्रेक्षक को वापस कर दें।

12. परीक्षा केन्द्र वायस रिकार्डर युक्त सी०सी०टी०वी० कैमरे की रिकार्डिंग कम से कम 60 दिनों तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था होनी अनिवार्य होगी, परीक्षा केन्द्र के निरीक्षण के दौरान सचल दल अधिकारियों द्वारा परीक्षा अवधि के किसी भी तिथि एवं विषय की परीक्षा का अवलोकन/परीक्षण किया जा सके।
13. जिस कमरे में उत्तर पुस्तिकाओं की बण्डलिंग होनी है, उस कमरे में भी कैमरा लगाया जाना है तथा परीक्षा अवधि की सी०सी०टी०वी० रिकार्डिंग संरक्षित रखी जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा अवधि के बाद बण्डलिंग पैकिंग की भी किसी भी तिथि की एवं किसी भी पाली की सी०सी०टी०वी० रिकार्डिंग मॉगी जा सकती है।
14. परीक्षा समाप्ति के बाद प्रत्येक पाली 60–60 उत्तर पुस्तिकाओं का एक सब पैकेट बनेगा जिसमें उत्तर पुस्तिकायें अनुक्रमांक के क्रमानुसार रखी जायेगी। प्रत्येक सब पैकेट का 300–300 उत्तर पुस्तिकाओं का मुख्य बण्डल बनेगा, जिसमें संबंधित विषय का एक प्रश्नपत्र एवं प–6 तथा पी–7 की प्रमाणित छायाप्रति केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय कोड/केन्द्र कोड सहित सफेद कपड़े में सील्ड करके मुख्य बण्डल बनाया जायेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी हेतु मो० नं० 9415619171 अथवा 9415274177 पर संपर्क किया जा सकता है।
15. प्रत्येक दिन परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् परीक्षा में परीक्षार्थियों द्वारा उपयोग की गयी उत्तर पुस्तिकायें कक्षावार/प्रश्नपत्रवार/तिथिवार/पालीवार सफेद कपड़े में सील्ड कराकर केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल प्रत्येक दशा में उसी दिन प्रथम पाली की उत्तर पुस्तिका संकलन केन्द्र पर प्रत्येक दशा में अपराह्न 1.00 बजे तक एवं द्वितीय पाली की उत्तर पुस्तिकायें सायं 7.30 बजे तक अवश्य प्राप्त करा दिया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त बंडल पर स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण अवश्य अंकित किया गया हो। परीक्षा समाप्ति के बाद प–7 एवं प–4 केन्द्राध्यक्ष द्वारा सत्यापित कराकर सील्ड लिफाफे में विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग को तीन दिन के अन्दर अवश्य प्राप्त करा दिया जाय।
16. विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2019 में राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरण की ओ०ए०आ०० सीट तथा प्रश्नपुस्तिका परीक्षा के समय परीक्षार्थियों को दिया जायेगा लेकिन केवल ओ०ए०आ०० सीट ही विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जायेगा, और प्रश्न पुस्तिका छात्रों को दे जायेगी। ओ०ए०आ०० सीट पर नामांकन संख्या आवश्यक रूप से दर्ज कराएँ। ओ०ए०आ०० सीट को पैक करते समय ऊपर तथा नीचे दफ्ती का प्रयोग अवश्य किया जाय तथा ओ०ए०आ०० सीट के किनारे फटे नहीं।
17. परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व 500–500 की संख्या में सादी उत्तर पुस्तिकाओं को बोरे में सील्ड करके विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र को प्राप्त करायी जायेगी। पूरी परीक्षा समाप्त होने के बाद शेष बची हुई सादी उत्तर पुस्तिकायें एवं निरस्त की गयी उत्तर पुस्तिकायें कम संख्या एवं पूर्ण विवरण सहित विश्वविद्यालय को एक सप्ताह के अन्दर वापस प्राप्त कराना होगा।
18. परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय द्वारा आपूर्ति की गयी उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा, प्रयोग एवं वापसी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य की होगी।
19. परीक्षा के दौरान महाविद्यालय के प्रबन्धक परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित नहीं रहें।
20. जिस प्राध्यापक/कर्मचारी के पाल्य उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनकी परीक्षा में ड्यूटी उस विषय एवं प्रश्नपत्र में नहीं लगायी जायेगी। प्राध्यापक/कर्मचारी की भी जिम्मेदारी होगी कि इस आशय की सूचना केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य को स्वयं दें।
21. परीक्षा केन्द्र पर अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गये विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें दोनों प्रति (प्रथम उत्तर पुस्तिका तथा निर्गत की गयी दूसरी उत्तर पुस्तिका) विषयवार/प्रश्नपत्रवार लाल

- कपड़े में सील्ड करके उक्त पैकेट को पूर्ण विवरण के साथ अलग से उसी दिन अन्य उत्तर पुस्तिकाओं के साथ संकलन केन्द्र को अवश्य प्राप्त करा दिया जाय।
22. परीक्षा अवधि में कोई भी प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष/प्राध्यापक/कर्मचारी मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा तथा परीक्षा के समय में परीक्षा ड्यूटी में लगे लोगों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश परीक्षा केन्द्र में वर्जित होगा।
23. उत्तर पुस्तिकाओं के सील्ड बण्डल पर केन्द्र एवं महाविद्यालय का नाम अंकित नहीं होगा बल्कि जनपद, परीक्षा केन्द्र एवं महाविद्यालय का कोड संख्या (**बड़े अक्षरों में**) अंकित होगा।
24. वैकल्पिक विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट कैच संख्या के अनुसार अलग-अलग तैयार किए जायेंगे तथा पैकेट के ऊपर कैच संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।
25. परीक्षा संचालन सम्बन्धी जानकारी हेतु एक कन्ट्रोल रूम स्थापित है जिसका दूरभाष संख्या—**054252–252513** है तथा विशेष परिस्थिति में दूरभाष नं**0–05452–252244** एवं मोबाइल नं**09415523761, 8887699785, 9161381581, 9415883611, 9415276655, 8808880759** पर सम्पर्क किया जा सकता है।
26. जिन परीक्षा केन्द्रों पर एक से अधिक महाविद्यालय सम्बद्ध हैं उन केन्द्रों पर छात्र/छात्राओं को मिश्रित रूप में परीक्षा कक्ष में बैठाया जाय।
27. जिन परीक्षा केन्द्रों में छात्रायें परीक्षा दे रही हो उन केन्द्रों पर आन्तरिक उड़ाका दल में एक महिला सदस्य को चैंकिंग हेतु अवश्य ड्यूटी लगायी जाय।
28. केन्द्राध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा अवधि में ड्यूटी पर लगाये गये शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पास उनका परिचय पत्र हो और उसे परीक्षा अवधि में अपने पास अवश्य रखे।
29. विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्राध्यक्षों को जारी परिचय-पत्र केन्द्राध्यक्ष परीक्षा अवधि में अवश्य धारण किये रहेंगे। उड़ाकादल/पर्यवेक्षक के मांगने पर दर्शित करेंगे।
30. परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र का गेट खुला रखा जाय। उड़ाका दल, पर्यवेक्षक के आगमन एवं वापसी पर कोई रुकावट पैदा नहीं की जायेगी।
31. परीक्षा में व्यवस्था हेतु नीचे दी गयी संख्या के आधार पर केन्द्राध्यक्ष के सहयोग के लिए सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। जिस हेतु केन्द्राध्यक्ष को अधिकार प्राप्त होगा तथा इसकी सूचना विश्वविद्यालय को पूर्व में दे। परीक्षा समाप्ति के एक माह के अन्दर परीक्षा ड्यूटी का पावना पत्र एवं केन्द्र व्यय का समायोजन विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यालय में अवश्य प्राप्त करा दिया जाय।
- (क) 01 से 500 तक कुल परीक्षार्थी पर दो सहायक केन्द्राध्यक्ष।
- (ख) 501 से 1000 तक कुल परीक्षार्थी पर तीन सहायक केन्द्राध्यक्ष।
- (ग) 1001 से 2000 तक कुल परीक्षार्थी पर चार सहायक केन्द्राध्यक्ष।
- (घ) 2001 से 3000 तक कुल परीक्षार्थी पर पाँच सहायक केन्द्राध्यक्ष।
- (ङ) 3001 से अधिकतम परीक्षार्थी पर छ: सहायक केन्द्राध्यक्ष।
32. उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग के पश्चात इन बण्डलों पर लिखने हेतु निम्नानुसार निर्दिष्ट स्थाही का ही प्रयोग **अनिवार्य रूप से** किया जाय—
- | | |
|--|---------------|
| कला वर्ग के बंडल सफेद कपड़े पर— | लाल स्थाही से |
| विज्ञान/बी.पी.ई. बंडल सफेद कपड़े पर— | काली “ |
| वाणिज्य/शिक्षा संकाय बंडल सफेद कपड़े पर— | नीला “ |
| कृषि/विधि बंडल सफेद कपड़े पर— | हरा “ |

33. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष प्रतिपाली की निम्न प्रारूप पर वांछित अपेछित सूचनायें अपने नोडल केन्द्र को तथा विश्वविद्यालय के ई—मेल आईडी vbspuexam2019@gmail.com पर देंगे तथा विश्वविद्यालय के वाट्सअप नं0—9455012072 पर भी सूचना प्रेषित करेंगे, इस हेतु परीक्षा केन्द्र प्रभारी अपना एक वाट्सअप नं0 भी विश्वविद्यालय कन्ट्रोल रूम को सूचित भी करेंगे। उपस्थित एवं अनुपस्थित छात्र/छात्राओं की संख्या तथा यू०एफ०एम० में निरूद्ध छात्र/छात्राओं की संख्या अपने नोडल केन्द्र को लिखित रूप में देंगे तथा इस हेतु एक वाट्सअप ग्रुप पर भी सूचना प्रेषित करेंगे, इस हेतु परीक्षा केन्द्र प्रभारी एक वाट्सअप नम्बर विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्र को सूचित करेंगे।

परीक्षा नियंत्रक

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम—

परीक्षार्थियों का संख्या			अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या			अनुचित साधनों के प्रयोग में आरोपित अभ्यर्थी तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही विषवार			अभ्युक्ति
1			2			3			4
छात्र	छात्रायें	कुल	छात्र	छात्रायें	कुल	छात्र	छात्रायें	कुल	कार्यवाही

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

नोट— वर्ष 2019 की प्रायोगिक परीक्षायें दिनांक 15 मई, 2019 तक अवश्य पूर्ण करा कर अंकपर्ण निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय।

प्रतिलिपि :—

1. सम्बन्धित प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय जौनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी, विश्वविद्यालय, वेबसाइट, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञाप्ति को विश्वविद्यालय के बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. संयोजक, परीक्षा संचालन समिति।
4. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आशुलिपिक वित्तअधिकारी।
6. अधीक्षक परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय।
7. वरिष्ठ आशुलिपिक, कुलसचिव/वित्तअधिकारी को सूचनार्थ।
8. प्रभारी मीडिया सेल।
9. प्रभारी, यू०एफ०एम०सेल/कण्ट्रोल रूम।
10. नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।

परीक्षा नियंत्रक